लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4467

19 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

बुनकरों हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना

4467. श्री प्रवीन कुमार निषाद:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बुनकरों हेतु संचालित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में घपले और अनियमितताओं के गंभीर मामले प्रकाश में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान बुनकरों के हितार्थ हस्तशिल्प उद्योगों को सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) बुनकरों के हितार्थ उन्हें मिल-निर्गम मूल्य पर धागा उपलब्ध कराने हेतु चलाई जा रही योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा 30.09.2014 तक स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वित की गई थी। स्वास्थ्य देखभाल सुविधा स्वास्थ्य बीमा कंपनी के माध्यम से प्रदान की गई थी जिसका चयन खुली निविदा प्रक्रिया के द्वारा किया गया था। स्वास्थ्य बीमा कंपनी को किए गए वास्तविक नामांकन के अनुसार केवल वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया गया था। बुनकरों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वास्थ्य बीमा दावों का भुगतान सीधे स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा किया गया था। योजना के कार्यान्वयन में भारत सरकार की निधियों के उपयोग में कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी।

भारत सरकार, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है :-

1) राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)
2) व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)

1. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)

(i) अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत कारीगरों का बेस लाइन सर्वेक्षण तथा संग्रहण:
(ii) डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन (डीटीयू)
(iii) मानव संसाधन विकास (एचआरडी)
(iv) कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ (डीबीए)
(v) अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता (आईटीएस)
(vi) अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)
(vii) विपणन सहायता एवं सेवाऐं (एमएसएस)

2. **व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)**

(i) मेगा क्लस्टर (एमसी)

(ii) हस्तशिल्प के एकीकृत विकास और संवर्धन (आईडीपीएच) के तहत विशेष परियोजनाएं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के तहत प्रदान की गई राज्य-वार वित्तीय सहायता अनुबंध में दी गई है।

यार्न आपूर्ति योजना को मजबूत बनाने के लिए 2018-19 के दौरान दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। इस योजना के तहत बिना मात्रात्मक प्रतिबंधों के मिल गेट मूल्य पर यार्न की आपूर्ति के अलावा मात्रात्मक प्रतिबंधों के साथ सूती, घरेलू रेशम, ऊनी यार्न तथा हैंक रूप में लिनेन यार्न पर 10% की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

*****

अनुबंध

विगत तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने एवं विकास हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता - **दिनांक 19 .07.2019 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4467 के भाग (क से ग) में उल्लिखित विवरण ।**

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	**जारी की गई राशि** (लाख रूपये में)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	56.89
आंध्र प्रदेश	2227.66
अरूणाचल प्रदेश	132.14
असम	1127.32
बिहार	1369.83
चंडीगढ़	46.67
छत्तीसगढ़	221.53
Delhiदिल्ली	1313.12
गोवा	14.25
गुजरात	644.06
हरियाणा	258.07
हिमाचल प्रदेश	514.54
जम्मू एवं कश्मीर	1276.47
झारखंड	210.18
कर्नाटक	432.38
केरल	253.15
मध्य प्रदेश	838.05
महाराष्ट्र	494.33
मणिपुर	794.22
मेघालय	233.14
मिज़ोरम	83.52
नागालैंड	159.49
ओडिशा	677.78
पुदूचेरी	83.70
पंजाब	501.11
राजस्थान	1192.20
सिक्किम	155.16
तमिलनाडु	360.22
तेलंगाना	981.71
त्रिपुरा	224.53
उत्तर प्रदेश	4444.11
उत्तराखंड	245.65
पश्चिम बंगाल	415.90
कुल	**21983.08**